

लेखपत्र का सेंक्षिप्त विवरण

- 1 - भूमि का प्रकार :- आवासीय
- 2 - वार्ड / परगना :- हरीपर्वत वार्ड, आगरा
- 3 - ग्राम / मौहल्ला :- मौजा जगनपुर मुस्तकिल
(मशहूर विहान ग्रीन कालौनी) आगरा
- 4 - सम्पत्ति का विवरण :- जमीन मिन 0 खसरा नंबर **110**
भूखण्ड संख्या
- 5 - सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- वर्गमीटर
- 6 - सडक की स्थिति :- रास्ता मीटर चौड़ा
- 7 - अन्य विवरण :- जमीन दो रास्ते एवं पार्क
फेसिंग की नहीं है
और जिसपर कोई निर्माण
नहीं हो रहा है।
- 8 - प्रतिफल की धनराशि :- / रुपया
- 9 - नियमानुसार कीमत :- / रुपया
- 10 - सर्किल रेट :- / रुपया प्रति वर्गमीटर
पृष्ठ क्रमांक
- 11 - स्टाम्प तादादी :- / रुपया

- : चौहद्दी :-

पूरब -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -

विक्रेता :- मैसर्स बांके बिहारी आवास प्रा 0 लि 0 रजि 0 कार्यालय - 25/11 गान्धीनगर
आगरा द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व 0 श्री सूरजभान गुप्ता निवासी 102
गान्धीनगर कालौनी आगरा ।

पैन कार्ड नंबर - मोबाईल नंबर -

क्रेता :- पुत्र / पत्नी श्री निवासी ।

पैन कार्ड नंबर - मोबाईल नंबर -

विवरण विकीत भूखण्ड जमीन :-

जो कि एक किता भूखण्ड संख्या जमीन व तादाद वर्गमीटर पैमायशी
..... मिन0 खसरा नंबर **110** कि जो संलग्न नक्शा दस्तावेज हाजा मे वरंग
लाल से स्पस्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है - वाकै मौजा जगनपुर मुस्तकिल (मशहूर
विहान ग्रीन कालौनी) तहसील व जिला आगरा।

उक्त भूखण्ड जमीन की विक्रेता कम्पनी एकमात्र मालिक काबिज व दखील है जिसको विक्रेता कम्पनी ने वशमूल अन्य जमीन वजरिये पांच किता पंजीकृत विक्रयपत्र इस प्रकार कि दो किता विक्रयपत्र नविश्ता अर्पित हाउसिंग कम्पनी द्वारा पार्टनर श्री गोविन्द प्रसाद मित्तल से प्रथम वैनामा दिनांक 21/11/2009 ई. मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 6725 सफा 355/420 नंबर 4536 दिनांक 21/11/2009 ई. व द्वितीय विक्रयपत्र दिनांक 21/11/2009 मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 6726 सफा 327/400 नंबर 4548 दिनांक 23/11/2009 तथा तृतीय वैनामा नविश्ता श्री मयंक अग्रवाल पुत्र श्री वी डी अग्रवाल दिनांक 04/11/2011 ई. मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 7582 सफा 235/270 नंबर 5579 दिनांक 04/11/2011 ई. एवं चतुर्थ विक्रयपत्र नविश्ता नारायण सहकारी आवास समिति लि0 आगरा द्वारा सचिव राजेश कुमार दिनांक 09/07/2012 मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 7985 सफा 277/390 नंबर 4769 दिनांक 14/09/2012 ई. व पंचम वैनामा नविश्ता नारायण सहकारी आवास समिति लि0 आगरा द्वारा सचिव राजेश कुमार दिनांक 09/07/2012 मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 8000 सफा 31/56 नंबर 4969 दिनांक 24/09/2012 ई. जिन सबका पंजीकरण कार्यालय श्रीमान उपनिबंधक प्रथम आगरा मे हुआ है।

खरीद की है जिसकी वावत विक्रेता कम्पनी को समस्त अधिकार स्वामित्व हर किस्म के प्राप्त है। और विक्रेता कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विक्रेता को विक्रेता कम्पनी की सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये अधिकृत किया है। कि जो विक्रेता के किसी भी अन्तरण आदि मे कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न कर सके। इसके अलावा उक्त भूखण्ड जमीन आज तक हर प्रकार के कर्जे व वार व इन्तकाल व मुआहिदा वै एवं जमानत व लोन आदि से पूर्णतः स्वच्छ एवं मुक्त है। और जो नजूल या राजकीय आस्थान की भूमि नहीं है। अगर उक्त वचनों के विपरीत कोई बात असत्य साबित हो तो विक्रेता समस्त नतायज कानूनी का पाबंद व जिम्मेदार होगा। अब विक्रेता को वहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रेता कम्पनी के उक्त भूखण्ड जमीन का विक्रय करना वास्ते मुफाद कम्पनी एवं हस्व ख्वाहिश क्रेता के हक मे विक्रेता ने क्रेता की प्रार्थना पर विक्रय करना स्वीकार किया है।

लिहाजा विक्रेता ने वहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रेता कम्पनी उक्त भूखण्ड संख्या
जमीन व तादाद वर्गमीटर को अपनी राजी व खुशी से बिना वहकाये ,सिखाये व
दवाव नाजायज के खूब सोच समझकर साथ तमाम हद्द व हकूक कुल जिम्मेदारी तथा
गुडटायटिल की गारंटी के साथ स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक वएवज मुवलिग / - ..
.....रुपया कि आधे जिसके मुवलिग / -रुपया होते है
वदस्त उक्त क्रेता को वै कतई किया और बेच दिया।

उक्त कीमत का कुल मुवलिग/रुपया विक्रेता ने क्रेता से

कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड जमीन कतई खाली पर विक्रेता कम्पनी ने उक्त क्रेता का करा दिया, जिस पर क्रेता ने पूर्ण संतुष्ट होकर अपना आधिपत्य कर लिया है और क्रेता को उसका कतई तौर पर मालिक मुस्तकिल बना दिया, अब क्रेता को मजाज है कि उसमें हस्व मंशा अपने चाहे जैसे निर्माण करावे, या उसको अपने स्वयं के प्रयोग में लावे या उसको किराये पर उठावें अथवा उसको रहन, व विक्रय एवं हिवा आदि जो चाहे सो करे, या जिस प्रकार मुनासिब जाने उससे वहैसियत मालिकाना लाभान्वित हों कुल अख्तयारात वावत विक्रीत भूखण्ड जमीन मजकूर तनहा क्रेता को हक मालिकाना हर किस्म हांसिल हैं और आयंदा रहेंगे। क्रेता जरिये दस्तावेज हाजा विक्रीत भूखण्ड जमीन पर अपने नाम का नामांकन कागजात अदालत माल में करालें, विक्रेता अपनी रजामंदी बिना ऐतराज दे देगा।

अगर आयंदा कभी कोई दावेदार वावत विक्रीत भूखण्ड जमीन मजकूर पैदा होकर कोई दावा व झगडा क्रेता से करे और उसकी वजह से जुज या कुल विक्रीत भूखण्ड जमीन कब्जा वदखल क्रेता से निकल जावे या किसी को कछ रुपया अदा करना या देना पडे या टायटिल में कोई नुक्स पाया जावे या विक्रेता की कोई गलत व्यानी जाहिर हो, तो एसी तमाम सूरतों में उसकी कुल जवावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी जरेसमन मजकूर वजिम्मे जातखास व जायदाद चल व अचल हर किस्म विक्रेता कम्पनी व कायम मुकामान उनके के है, और होगी, क्रेता व वारिसान क्रेता को मजाज होगा कि विधिवत वसूल करलें, जिसमें विक्रेता कम्पनी व कायम मुकामान उनके को कुछ उज्र किसी किस्म का नहीं होगा।

लिहाजा यह वैनामा (विक्रयपत्र) बाद सुनने, समझने व पडने जुमला मजमून लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। लेख दिनांकई.

गवाह —

गवाह —